रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1970/चैत्र 7 1892

No. 65] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1970/CHAITRA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

...MENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th March 1970

G.S.R. 520.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of paragraph 1 of the Third Schedule to the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government hereby specifies the following ratio as the ratio between the population as ascertained at the 1961 Census of Meghalaya and the rest of the State of Assam, namely:—

Population of Meghalaya	:	Population of the rest of Assam	.	6·27 : 93·73

[No. F. 1/2/70-SR.]

M. G. PIMPUTKAR, Spl. Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

[नई दिल्ली, 28 मार्च, 1970

का० आ० सं० 520.—असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की तृतीय अनुसूची के पैरा 1 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुपात को मेघालय और अवशिष्ट असम राज्य की 1961 की जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनसंख्या के बीच अनुपात के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है अर्थात् :—

मेघालय की जनसंख्या	:	अवशिष्ट असम की जनसंख्या 6.27 : 93.73

[सं० फा० 1/2/70-एम० आर०]

मो० ग० पिम्पुटकर, विशेष सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970